

विधि (प्रश्न-पत्र-II)

निर्धारित समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

(उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़िए)

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

उम्मीदवार को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द-सीमा, जहाँ उल्लिखित है, को माना जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

LAW (PAPER-II)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and judicial pronouncements : 10×5=50

- (a) “ ‘दूरस्थता’ का उचित परीक्षण ‘पूर्व-कल्पना’ का सिद्धान्त है, न कि ‘सामीप्य’ का। ” वाद-विधियों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

“Doctrine of ‘foreseeability’, not the ‘proximity’, is a correct test of ‘remoteness’.” Explain with the help of case-laws.

- (b) “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार ‘लोक सेवक’ की परिभाषा केवल व्याख्यात्मक (दृष्टान्तस्वरूप) है, न कि सुविस्तृत है।” टिप्पणी कीजिए।

“The definition of ‘public servant’ as per the Prevention of Corruption Act, 1988 is only illustrative and not exhaustive.” Comment.

- (c) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए।

Describe the salient features of the Protection of Civil Rights Act, 1955.

- (d) सेवक द्वारा अपकृत्यों के किए जाने पर मालिक के दायित्व के सिद्धान्त को समझाइए। वाद-विधियों को लिखिए।

Explain the principle of liability of master for the torts committed by his servant. Write case-laws.

- (e) किन परिस्थितियों के अन्तर्गत समुचित सरकार मृत्यु दण्डादेश एवं आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण किसी दूसरे दण्ड के लिए कर सकती है? विवेचना कीजिए।

Under what circumstances can the appropriate government commute the sentence of death and life imprisonment for any other punishment? Discuss.

2. (a) “मानववध का अर्थ व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का वध है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए एवं हत्या की कोटि में आने वाले एवं न आने वाले आपराधिक मानववध के मध्य भेद कीजिए।

“Homicide means killing of a human being by a human being.” Explain the statement and distinguish between culpable homicide amounting to murder and not amounting to murder.

20

- (b) “प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है परन्तु इसका प्रयोग अवश्य ही युक्तियुक्ततः किया जाना चाहिए।” उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

“Right to private defence is a valuable right but it must be exercised reasonably.” Explain with examples.

15

- (c) “उपताप, उपेक्षा की कोई शाखा नहीं है।” स्पष्ट कीजिए। वर्णन कीजिए कि उपताप के लिए कौन वाद कर सकता है एवं कौन दायी है।

“Nuisance is no branch of negligence.” Explain. Describe who can sue and who is liable for nuisance.

15

3. (a) मानहानि विधि की विवेचना कीजिए। क्या यह कहना सही है कि मानहानि विधि ‘ख्याति’ को बहुत अधिक संरक्षण देता है एवं वाक् की स्वतन्त्रता पर भी बहुत अधिक प्रतिबन्ध लगाता है? टिप्पणी कीजिए।

Discuss the law of defamation. Is this correct to say that law of defamation gives too much protection to ‘reputation’ and imposes too a great restriction on the freedom of speech? Comment.

20

- (b) “अपकृत्य विधि को यूबी जस इबी रिमेडियम के सूत्र पर विकसित हुआ कहा जाता है।” अपने उत्तर को निर्णीत वाद-विधियों की सहायता से उदाहरण सहित समझाइए।

“The law of torts is said to be a development of the maxim *ubi jus ibi remedium*.” Illustrate your answer with the help of decided case-laws.

15

- (c) भारत के अपराध विधि में ‘विवाह के प्रति अपराधों’ के अन्तर्गत आने वाले कतिपय प्रमुख अपराधों से संबंधित उपबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अपने उत्तर का वाद-विधि द्वारा समर्थन कीजिए।

Critically examine the provisions relating to few major offences which fall under the ‘offences against marriage’ in the criminal law of India. Support your answer with case-law.

15

4. (a) “डकैती, चोरी और लूट का एक गुरुतर रूप है।” सुसंगत प्रावधानों एवं वाद-विधियों सहित व्याख्या कीजिए।

“Dacoity is an aggravated form of theft and robbery.” Explain with relevant provisions and case-laws.

20

- (b) “संयुक्त अपराधियों के मामले में उनका दायित्व संयुक्त एवं पृथक् है।” उन दशाओं की व्याख्या कीजिए, जब यह सिद्धान्त लागू होता है।

“In case of joint offenders, their liability is joint and separate.” Explain the conditions when such principle is applicable.

15

- (c) “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में ‘उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ (सेल)’ की स्थापना एवं मध्यस्थता के लिए प्रक्रिया, उपभोक्ता मामलों में आनुकूलिक विवाद समाधान की दिशा में एक कदम है।” विवेचना कीजिए।

“The establishment of ‘Consumer Mediation Cell’ and procedure for mediation in the Consumer Protection Act, 2019 is a step towards alternative dispute resolution in consumer cases.” Discuss.

15

खण्ड—B / SECTION—B

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and judicial pronouncements :

10×5=50

- (a) “विधि एवं न्याय दोनों को ही अन्यायपूर्ण धनी होने (अन्जस्ट एन्ऱिचमेन्ट) को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।” इस कथन का विशदीकरण भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में कीजिए।

“Law as well as justice should try to prevent unjust enrichment.” Elucidate the statement in reference to relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872.

- (b) “किसी विक्रय संविदा के भंग होने पर क्रेता और विक्रेता दोनों के पास एक-दूसरे के विरुद्ध उपचार होते हैं।” इस कथन का विवेचन माल विक्रय अधिनियम, 1930 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में कीजिए।

“In breach of a sale contract, both the buyer and the seller have remedies against each other.” Discuss the statement in reference to relevant provisions of the Sale of Goods Act, 1930.

- (c) “भागीदारी से अलग होने वाला भागीदार पश्चातवर्ती लाभों का भागीदार तो होता है परन्तु उसकी निवृत्ति के पश्चात् फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए दायी नहीं होता है।” इस कथन का विशदीकरण भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में कीजिए।

“An outgoing partner shares subsequent profits but not the liability for acts of the firm after his retirement.” Elucidate the statement referring to relevant provisions of the Indian Partnership Act, 1932.

(d) “प्रमाणकर्ता ऑफिसर की भूमिका न्यायिक-कल्प नहीं, परन्तु प्रशासनिक प्रकृति की होती है।” व्याख्या कीजिए।
“The role of certifying officer is not quasi-judicial but administrative in nature.” Explain.

(e) “गरीबी या सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण न्यायालय तक पहुँचने में असमर्थ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के मूल अधिकारों की संरक्षा हेतु लोकहित वाद एक औजार है।” इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

“Public interest litigation is a tool to protect fundamental rights of persons or group of persons who are unable to approach the court due to poverty or social and economic conditions.” Critically analyze this statement.

6. (a) “हर करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता हो, उस विस्तार तक शून्य है।” इस कथन की विवेचना उन सभी परिस्थितियों, जिनमें न्यायालयों ने ऐसे करारों को वैध करार दिया हो, के साथ कीजिए।

“Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void.” Discuss the statement along with the circumstances in which such agreements have been considered valid by the courts.

20

(b) “प्रतिग्रहण के समय प्रस्थापना की शर्तों को स्वीकार नहीं करना या उसमें कोई विशेषता जोड़ना प्रतिग्रहण को दोषपूर्ण कर देता है, जब तक कि प्रस्थापक उसे स्वीकार न कर ले।” भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों तथा स्थापित सिद्धान्तों के आलोक में इस कथन का विशदीकरण कीजिए।

“Any departure from the terms of the offer or the addition of any qualification while accepting the offer vitiates the acceptance unless it is agreed to by the offeror.” Elucidate the statement in the light of the provisions of the Indian Contract Act, 1872 and established principles.

15

(c) “विधि द्वारा प्रपीड़न एवं असम्यक् असर में विभेद किया गया है। किसी संविदा के निष्पादन में प्रपीड़न तब होता है जब किसी व्यक्ति पर शारीरिक बल (हिंसा) का प्रयोग होता है। इसके विपरीत, असम्यक् असर पीड़ित के विरुद्ध हिंसा या हिंसा की धमकियों के बिना भी हो सकता है।” इस कथन के आलोक में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सुसंगत प्रावधानों एवं उन्नत उपधारणाओं के संदर्भ में प्रपीड़न एवं असम्यक् असर में भेद कीजिए।

“The law draws a distinction between coercion and undue influence. Coercion in the execution of a contract occurs when there is a physical compulsion of the person. In contrast, undue influence may exist without violence or threats of violence against the victim.” In the light of this statement, distinguish between coercion and undue influence referring to relevant provisions and presumptions raised under the Indian Contract Act, 1872.

15

7. (a) “संविदा के पक्षकारों को या तो अपने-अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी, जब तक कि ऐसे पालन से संविदा विधि या किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अभिमुक्ति या माफी न दे दी गयी हो।” इस कथन की भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

“The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless the performance is dispensed with or excused under the provisions of the Contract Act or of any other law.” Explain the statement in reference to relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872. 20

- (b) “क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) एवं उर्ध्वाधर (वर्टिकल) दोनों प्रकार के करारों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 में शामिल किया गया है, हालाँकि क्षैतिज करारों को उर्ध्वाधर करारों की तुलना में अधिक हानिकारक माना जाता है।” विवेचना कीजिए।

“Both horizontal and vertical agreements are included in Section 3 of the Competition Act, 2002 even when horizontal agreements are considered more harmful in comparison to vertical agreements.” Discuss. 15

- (c) “‘एहतियाती सिद्धान्त’ एवं ‘प्रदूषणक भुगतान सिद्धान्त’ सतत विकास के मूलभूत सिद्धान्त हैं।” दोनों सिद्धान्तों की एवं उनके सतत विकास में योगदान की व्याख्या सुसंगत वाद-विधियों के संदर्भ में कीजिए।

“The ‘precautionary principle’ and the ‘polluter pays principle’ are essential principles of the sustainable development.” Explain both the principles and also their contribution in sustainable development referring to relevant case-laws. 15

8. (a) “सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रण के अधीन सूचना में सुरक्षित पहुँच बनाने हेतु, एक महत्वपूर्ण अधिनियमन है।” विवेचना कीजिए। अधिनियम में उल्लिखित लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का भी वर्णन कीजिए।

“Right to Information, for citizens to secure access to information under the control of public authorities, is an important enactment.” Discuss. Also describe the obligations of public authorities as mentioned in the Act. 20

- (b) “माध्यस्थम् करार को प्रवर्तित करने के लिए करार के निबंधन (शर्त) स्पष्ट एवं निश्चित होने चाहिए।” व्याख्या कीजिए।

“To enforce the arbitration agreement, the terms of the agreement must be clear and certain.” Explain. 15

- (c) व्यापार-चिह्न (ट्रेडमार्क) के अतिलंघन एवं चला देने (पासिंग ऑफ) के लिए व्यापार-चिह्न स्वामी के पास उपलब्ध उपचारों का वर्णन कीजिए।

Discuss the remedies for infringement of trademark and passing off available to the trademark owner.

15

★ ★ ★